

AVANISH KUMAR SINGH

Advocate

Address Resi. :

Plot.No.47, Khargapur,
Gomti Nagar-Ext.-5, Lucknow. (U.P.)

High Court Chamber No. B-513

e-mail: avanish.74kumarsingh@gmail.com

Mobile Number. 9455388988

'NON-ENCUMBRANCE CERTIFICATE'

To Whomsoever It May Concern

Perused the Non-Encumbrance Certificate bearing no. 22025228004722 duly issued by the office of Deputy Registrar Sadar-II, District Lucknow pursuant to the application bearing No. 2202522804997 a copy of which is annexed herewith this certificate.

On perusal of the aforesaid Non-Encumbrance Certificate bearing no. 22025228004722 duly issued by the office of Deputy Registrar Sadar-II, District Lucknow apparently there no charge is found on the Plot No. TCG 4/4 Vibhuti Khand, Gomti Nagar, District Lucknow hence the Non Encumbrance w.r.t. Plot No. TCG 4/4 Vibhuti Khand, Gomti Nagar, District Lucknow is certified accordingly on the basis of Non-Encumbrance Certificate bearing no. 22025228004722 duly issued by the office of Deputy Registrar Sadar-II, District Lucknow pursuant to the application bearing No. 2202522804997.

Date: 09.09.2025

Place: Lucknow



(Avanish Kumar Singh)

Advocate

Enrollment No. UP/781/2006

कार्यालय उप निबंधक सदर द्वितीय लखनऊ जनपद लखनऊ

आवेदन संख्या :2202522804997

प्रमाण संख्या :22025228004722

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- जावेद इरशाद पुत्र- इरशाद आजमी तहसील लखनऊ जिला लखनऊ ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - विभूति खण्ड , वार्ड/परगना- चिनहट , आवासीय- रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड , प्लॉट नंबर टी सी जी 4/4
विभूति खंड गोमती नगर , विभूति खंड गोमती नगर

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 08/09/2013 से दिनांक 08/09/2025 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :09-09-2025

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।
5. 'प्रथम पक्ष' से तात्पर्य बंधक कर्ता से है और 'द्वितीय पक्ष' से तात्पर्य बन्धकी से है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: राजेश कुमार यादव।
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: नमिता श्रीवास्तव।

Prabhash Singh

Digitally signed by Prabhash Singh
Date: 2025.09.09 12:08:10 +05'30'

उप निबंधक सदर द्वितीय
लखनऊ